




फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
घासी व अन्य बनाम छोमा मृतक व अन्य

केस संख्या 146 / 2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
05.07.2022	<p>दरखास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 13/2009 व उनवानी छोमा बनाम घासी व अन्य में पीढासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। उपखण्ड अधिकारी फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो। नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 08.08.2022 को पेश हो।</p> <p> जिला कलक्टर जयपुर</p>	
8/8/22	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। टिप्पणी अज्ञात है अतः ला-इन्तजार टिप्पणी एवं अज्ञातजब को तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने पर जारी कर पत्रावली दिनांक 22-8-2022 को पेश है।</p> <p> जिला कलक्टर जयपुर</p>	
22-8-22	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी फागी के पीढासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी फागी के पीढासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p> (प्रकाश रामपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर</p>	